

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 17/2020/अपील

1. रतनकंवर पत्नि स्व. गिरवर सिंह जाति राजपुत निवासीनी बासडी खुर्द तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अपीलार्थिया

ब नाम

1. रणवीर सिंह पुत्र स्व0 लिछमण सिंह तथाकथित दत्तक पुत्र मानसिंह जाति राजपुत निवासी बासडी खुर्द तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। हाल अंकित फर्निचर ए-64, सरना पंचायत के पास बैनाड़ रोड खोरा जयपुर।
2. जुगल कंवर पुत्री स्व0 मानसिंह पत्नी श्री भगवान सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बासडी खुर्द तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल जे.एल.एन. मार्ग एफ-37 मालवीय नगर जयपुर।
3. ग्राम पंचायत रलावता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. तहसीलदार तहसील कार्यालय दांतारामगढ जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध नामांतरण संख्या 36 दिनांकित 01.05.2003

बतस्दीक ग्राम रलावता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

उपस्थिति—

1. श्री सागरमल भीणा वकील अपीलार्थिया की ओर से।
2. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, 3, 4 के विरुद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गई।


निर्णय

दिनांक— 17.02.2021

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि खाता संख्या 37 जिनके खसरा नम्बर 303, 304, 306, 315, 316, 328, 329, 389, 389/856, 390, 91, 399/852, 406, 406/853, 406/854, 406/855, 406/859, 406/860, 406/861, 406/867, 407, 407/857, 407/858, 407/869, 408, 408/863, 409, 409/864, 409/868 किता 33 कुल रकबा 35.98 है0 व खसरा नम्बर 330, 331 किता 2 कुल रकबा 3.58 है0 वाके ग्राम रलावता प0ह0 जीणमाता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उक्त आराजी पैतृक कृषि भूमि है उक्त कृषि भूमि के खातेदार कारस्तकार मानसिंह था जिसकी मृत्यु दिनांक 25.10.1998 को हो गई। मानसिंह की मृत्यु के बाद उनके लिगल तीन वारिसों में से एक वारिस ने ग्राम पंचायत रलावता से मिलीभगत कर गलत वारिसान प्रमाण पत्र व फर्जी गादनाम प्राप्त कर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 ने आपको दत्तक पुत्र बताते हुए प्राप्त कर अपीलान्ट को मानसिंह का वारिस नहीं दिखाकर विरासत नामान्तकरण रेस्पोंडेन्ट ने अपने पक्ष में भरवा लिया गया व नामान्तकरण संख्या 36 दिनांक 01.05.2003 के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये गये। उक्त गलत व फर्जी नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट्स को दिनांक 25.10.2020 को होने पर अपीलान्ट द्वारा यह अपील निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है 1. योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत रलावता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की आज्ञा और जैर अपील दिनांक 01.05.2003 सर्वथा गलत विरुद्ध वास्तविकता होने से निरस्त होने योग्य है। 2. अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्टस का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है :-



मृतक मानसिंह के लिगल वारिस के रूप में अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट्स है किन्तु रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 2 ने ग्राम पंचायत रलावता व पटवारी हल्का जीणमाता से मिलीभगत कर अपीलान्ट को मृतक मानसिंह का लिगल वारिस नहीं दर्शाते हुए गलत रूप से नामान्तकरण संख्या 36 दिनांक 01.05.2003 को अपने पक्ष तस्दीक करवाकर मृतक मानसिंह की पैतृक कृषि भूमि में 1/2, 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त कर ली गयी जो कि कतई गलत है कानूनी विरुद्ध है जिसको निरस्त फरमाया जावे। 3. योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत अपीलान्ट को बिना किसी सूचना के व बिना किसी सुनवाई के नामान्तकरण

B-13
सुपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

संबंधी नियमों की पालना किये बिना ही नामान्तरण संख्या 36 दिनांक 01.05.2003 को भरा जाकर रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 लगायत 2 को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ होने के कारण आज्ञा जैर अपील व नामान्तरण संख्या 36 दिनांक 01.05.2003 निरस्त किये जाने योग्य है। 4. दिनांक 06.11.2020 को उक्त नामान्तरण की भकल प्राप्त की उसके बाद अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर विधिक राय लेकर अपील तैयार करवा कर नामान्तरण की जानकारी दिनांक 06.11.2020 से सादर प्रस्तुत है। उक्त अवधि अपीलान्ट ने जानबुझकर नहीं निकाली बल्कि अपीलान्ट की जानकारी में नामान्तरण संबंधी कार्यवाही की जानकारी नहीं होने के कारण उक्त अवधि निकली है जिसको कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद ली जाकर सुनवाई की जावे यदि अपील को अन्दर मियाद नहीं लिया गया तो अपीलान्ट के हक व अधिकार खत्म हो जायेगे तथा अपीलान्ट्स को न्याय नहीं मिल पायेगी। अतः अपील प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील अपीलार्थिया स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 36 दिनांकित 01.05.2003 बतस्दीक ग्राम पंचायत रलावता तहसील दांतारामगढ़ खारिज फरमाया जाकर अपीलार्थिया के नाम से नामान्तरण भरने के आदेश प्रदान किये जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेंट्स संख्या 2 स्वयं ने हाजिर होकर आवेदन अपील में अनापत्ती किये जाने हेतु पेश किया जिसमें कथन किया की अप्रार्थी संख्या 1 रणवीरसिंह ने पटवार हल्का व ग्राम पंचायत से मिली भगत कर नामान्तरण तस्दीक किया गया है। इस प्रकार नामान्तरण संख्या 36 को निरस्त कर पुनः जांच कर नामान्तरण तस्दीक किये जाने के आदेश फरमाये जाते है तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है तथा शेष रेस्पोंडेंट्स बावजूद सूचना अनुपरिथत रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपील अपीलान्ट पर बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस के


उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़


दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया कि अपीलाधीन नामांतकरण गलत तरीके से बिना वारिशान की जांच किये तथा कब्जे की जांच किये तथा अपीलार्थियों को सुनवाई का अवसर दिये बगैर तस्दीक किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः ग्राम पंचायत रलावता द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 36 दिनांकित 01.05.2003 को निरस्त फरमाया जावे।

3. अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत रलावता द्वारा तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामांतकरण बिना विधिक वारिशान, कब्जे आदि की जांच किये तस्दीक किया गया है जो निरस्तनीय है।

अपीलांट की ओर से दफा 5 मियाद परिसीमा अधिनियम का आवेदन पेश किया है तथा अपीलांट स्व० मानसिंह का पुत्र गिरवरसिंह (फोट) की पत्नी वैध वारिस है अतः अपीलांट को मियाद के बिन्दू पर न्याय से वंचित किया जाना उचित नहीं है तथा ग्राम पंचायत रलावता द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामांतकरण बिना विधिवत वारिशान की जांच किये ही तस्दीक किया गया है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अपीलाधीन नामांतरण संख्या 36 दिनांक 01.05.2003 द्वारा ग्राम पंचायत रलावता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पुनः विधिवत वारिशान की जांच करते हुए नामान्तरण दर्ज कर तस्दीक करने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना से अवगत करावे।

पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अमरेंद्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ